

जल शक्ति मंत्रालय
मांग संख्या 63
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | | संशोधित 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | |
|--|--------------------|-------|----------|---------------|-------|----------|-------------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 59790.44 | ... | 59790.44 | 77221.80 | 1.20 | 77223.00 | 77031.05 | 1.60 | 77032.65 | 77389.18 | 1.50 | 77390.68 |
| वसूलियां | -134.95 | ... | -134.95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 59655.49 | ... | 59655.49 | 77221.80 | 1.20 | 77223.00 | 77031.05 | 1.60 | 77032.65 | 77389.18 | 1.50 | 77390.68 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 30.60 | ... | 30.60 | 29.80 | 1.20 | 31.00 | 31.05 | 1.60 | 32.65 | 34.28 | 1.50 | 35.78 |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र प्रायोजित योजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन | | | | | | | | | | | | |
| 2. जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन | | | | | | | | | | | | |
| 2.01 डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान-पूर्व राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र | 10.00 | ... | 10.00 | 89.00 | ... | 89.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 95.00 | ... | 95.00 |
| 2.02 मिशन प्रबंधन | 1.15 | ... | 1.15 | 17.75 | ... | 17.75 | 2.32 | ... | 2.32 | 17.75 | ... | 17.75 |
| 2.03 संस्थानों इत्यादि को सहायता | 0.07 | ... | 0.07 | 5.00 | ... | 5.00 | 0.50 | ... | 0.50 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 2.04 सम्मलेन, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी | 0.73 | ... | 0.73 | 2.00 | ... | 2.00 | 0.50 | ... | 0.50 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 2.05 मानव संसाधन विकास | 29.24 | ... | 29.24 | 90.00 | ... | 90.00 | 25.12 | ... | 25.12 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 2.06 निगरानी एवं मूल्यांकन | 6.97 | ... | 6.97 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 2.07 सूचना, शिक्षा एवं संचार | 22.47 | ... | 22.47 | 70.00 | ... | 70.00 | 70.00 | ... | 70.00 | 70.00 | ... | 70.00 |
| 2.08 प्रबंधन सूचना प्रणाली | 8.86 | ... | 8.86 | 11.00 | ... | 11.00 | 27.00 | ... | 27.00 | 11.00 | ... | 11.00 |
| 2.09 अनुसंधान | 1.13 | ... | 1.13 | 5.00 | ... | 5.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 5.00 | ... | 5.00 |
| 2.10 राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) | 11.81 | ... | 11.81 | 15.50 | ... | 15.50 | 13.25 | ... | 13.25 | 15.50 | ... | 15.50 |
| 2.11 जल जीवन मिशन / राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम - कार्यक्रम घटक | 54742.32 | ... | 54742.32 | 69684.75 | ... | 69684.75 | 69846.31 | ... | 69846.31 | 69926.65 | ... | 69926.65 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2022-2023 | | | बजट 2023-2024 | | | संशोधित 2023-2024 | | | बजट 2024-2025 | | |
|--|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 2.12 घटाएं: केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ़) से पूरी की गई राशि | -134.95 | ... | -134.95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| <i>निवल</i> | <i>54699.80</i> | ... | <i>54699.80</i> | <i>70000.00</i> | ... | <i>70000.00</i> | <i>70000.00</i> | ... | <i>70000.00</i> | <i>70162.90</i> | ... | <i>70162.90</i> |
| स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) | | | | | | | | | | | | |
| 3. स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण | | | | | | | | | | | | |
| 3.01 निगरानी एवं मूल्यांकन | 0.19 | ... | 0.19 | 1.00 | ... | 1.00 | 0.50 | ... | 0.50 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 3.02 मानव संसाधन विकास | 0.01 | ... | 0.01 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 |
| 3.03 अनुसंधान | 0.32 | ... | 0.32 | 5.15 | ... | 5.15 | 1.10 | ... | 1.10 | 5.15 | ... | 5.15 |
| 3.04 सूचना - शिक्षा एवं संचार | 44.81 | ... | 44.81 | 87.79 | ... | 87.79 | 87.79 | ... | 87.79 | 87.79 | ... | 87.79 |
| 3.05 प्रबंधन सूचना प्रणाली और कंप्यूटरीकरण | 1.59 | ... | 1.59 | 4.00 | ... | 4.00 | 3.00 | ... | 3.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| 3.06 व्यावसायिक सेवाएं | 2.43 | ... | 2.43 | 3.50 | ... | 3.50 | 2.00 | ... | 2.00 | 4.00 | ... | 4.00 |
| 3.07 ऋण पर ब्याज | 1032.80 | ... | 1032.80 | 1033.30 | ... | 1033.30 | 1033.02 | ... | 1033.02 | 1033.30 | ... | 1033.30 |
| 3.08 कार्यक्रम घटक | 3842.94 | ... | 3842.94 | 6056.26 | ... | 6056.26 | 5871.59 | ... | 5871.59 | 6055.76 | ... | 6055.76 |
| <i>जोड़- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण</i> | <i>4925.09</i> | ... | <i>4925.09</i> | <i>7192.00</i> | ... | <i>7192.00</i> | <i>7000.00</i> | ... | <i>7000.00</i> | <i>7192.00</i> | ... | <i>7192.00</i> |
| जोड़-केंद्र प्रायोजित योजनाएं | 59624.89 | ... | 59624.89 | 77192.00 | ... | 77192.00 | 77000.00 | ... | 77000.00 | 77354.90 | ... | 77354.90 |
| कुल जोड़ | 59655.49 | ... | 59655.49 | 77221.80 | 1.20 | 77223.00 | 77031.05 | 1.60 | 77032.65 | 77389.18 | 1.50 | 77390.68 |
| ख. विकास शीर्ष | | | | | | | | | | | | |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. जल आपूर्ति और स्वच्छता | 55785.45 | ... | 55785.45 | 64155.74 | ... | 64155.74 | 64138.41 | ... | 64138.41 | 64302.85 | ... | 64302.85 |
| जोड़-सामाजिक सेवाएं | 55785.45 | ... | 55785.45 | 64155.74 | ... | 64155.74 | 64138.41 | ... | 64138.41 | 64302.85 | ... | 64302.85 |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 30.60 | ... | 30.60 | 29.80 | ... | 29.80 | 31.05 | ... | 31.05 | 34.28 | ... | 34.28 |
| 3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए पूंजीगत परिव्यय | ... | ... | ... | ... | 1.20 | 1.20 | ... | 1.60 | 1.60 | ... | 1.50 | 1.50 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 30.60 | ... | 30.60 | 29.80 | 1.20 | 31.00 | 31.05 | 1.60 | 32.65 | 34.28 | 1.50 | 35.78 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 7615.90 | ... | 7615.90 | 7596.70 | ... | 7596.70 | 7632.19 | ... | 7632.19 |
| 5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 3722.65 | ... | 3722.65 | 5169.36 | ... | 5169.36 | 5064.89 | ... | 5064.89 | 5169.86 | ... | 5169.86 |
| 6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 116.79 | ... | 116.79 | 251.00 | ... | 251.00 | 200.00 | ... | 200.00 | 250.00 | ... | 250.00 |
| जोड़-अन्य | 3839.44 | ... | 3839.44 | 13036.26 | ... | 13036.26 | 12861.59 | ... | 12861.59 | 13052.05 | ... | 13052.05 |
| कुल जोड़ | 59655.49 | ... | 59655.49 | 77221.80 | 1.20 | 77223.00 | 77031.05 | 1.60 | 77032.65 | 77389.18 | 1.50 | 77390.68 |

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन:** जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घेरलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम

में सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार स्तर पर सेवा प्रदान करना अर्थात् निर्धारित गुणवत्ता और पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति करना है।

भारत सरकार ने जनजातीय लोगों के बीच सबसे कमजोर वर्गों के विकास और कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से प्रधान मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना शुरू की है। तदनुसार जल जीवन मिशन स्कीम के तहत पीएम-जनमन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संशोधित अनुमान 2023-24 में 105.95 करोड़ रु. का अलग से प्रावधान किया गया है तथा बी ई 2024-25 में रु. 344.35 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्सेदारी के रूप में आवंटित की गई है।

3. **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण:** सरकार ग्रामीण जनता को स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने को अत्यधिक महत्व दे रही है। स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी। खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) स्थिति प्राप्त कर लेने के बाद, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ओ.डी.एफ. स्थिति बनाए रखने को सुनिश्चित करने तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं के साथ देश के सभी गाँवों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस शोध घटक में नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को संदेय कमीशन प्रभार शामिल है।